न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 46 / 2024	2024 / 139	28.11.2024	28.03.2025

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री रामोतार अग्रवाल,
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री रामोतार अग्रवाल निवासीयान स्टेशन रोड अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. रजत कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री रमेश कुमार,
2. शरद कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री रमेश कुमार,
3. पुनम अग्रवाल पुत्री स्व0 श्री रमेश कुमार,
   जातियान महाजन, निवासीयान कोटपूतली जिला जयपुर।
4. तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

—असल रेस्पोडेण्ट्स

5. शारदा पुत्री स्व0 श्री रमेश कुमार,
6. इन्द्रा पुत्री स्व0 श्री रमेश कुमार,
7. विमला पुत्री स्व0 श्री रमेश कुमार, निवासीयान स्टेशन रोड अलवर राज0।

—तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरुद्ध नामा0 सं0 929 निर्णय दिनांक 22.10.2024 तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—
01—श्री चन्द्र मोहन शर्मा —वकील अपी0
02—श्री तेजसिंह चौधरी —वकील रेस्पो0

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार अलवर के निर्णय दिनांक 22.10.2024 नामान्तकरण संख्या 929 जिसके द्वारा वाके ग्राम मुगसका तहसील व जिला अलवर स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता रामोतार पुत्र श्री बिरदी चंद अग्रवाल द्वारा वाद 388/97 को अति0 सिविल न्यायाधीश सं. 2 अलवर ने दि0 14.02.2002 को डिक्री किया था कि ''रेस्पो0 सं. 1 ला0 3 के पिता रमेश, अपीलाण्ट के पिता रामोतार के हक में विवादित आराजी खसरा नंबर 376 रकबा 7 बीघा वाके ग्राम मुगसका अलवर का बयनामा एक माह के अन्दर निष्पादित करावें।'' रेस्पो0 के पिता रमेश द्वारा निर्णय व डिक्री की पालना नहीं करने पर न्यायालय में दिनांक 03.04.2002 को इजराय प्रस्तुत की, जिस पर न्यायालय के आदेशानुसार अपीलाण्ट के पिता रामोतार के हक में दि0 05.04.2004 को आराजी ख.नं0 376 रकबा 7 बीघा हाल खसरा नंबर 451 रकबा 0.28 है0, 452 रकबा 0.31 है0, 453 रकबा 0.23 है0, 455 रकबा 0.30 है0, 458 रकबा 1.37 है0 कुल किता 5 रकबा 2.49 है0 वाके ग्राम मुगरका तह0 व जिला अलवर का बयनामा निष्पादित किया जाकर पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 654 में पृष्ठ सं. 86 क्र.सं. 2004001599 पर कार्यालय उप पंजीयक अलवर में पंजीबद्ध किया गया था। इसी दौरान हरिकिशन पुत्र छोटेलाल नामक व्यक्ति ने अपीलांट के पिता के विरूद्व न्यायालय में दावा दायर कर दिया, जिस पर न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड मे बयनामा के आधार पर इन्तकाल ना खोलने हेतु प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधज्ञा दिनांक 24.08.2004 को स्वीकार किया। अपीलांट के पिता ने इस आदेश के विरूद्ध अपील दायर की जो अपील दिनांक 14.02.2005 को अपर जिला न्यायाधीश सं० 1 अलवर द्वारा निस्तारित कर यह आदेश पारित किया कि साबिक आराजी खसरा नंबर 376 के केवल 2 बीधा जमीन के संबंध में आदेश प्रभावी रहेगा, शेष जमीन पर इसका कोई प्रभाव नही होगा। हरिकिशन पुत्र छोटेलाल का वाद सं० 333/2003 निर्णय

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

दिनांक 27.02.2019 न्यायालय सिविल न्यायाधीश सं० 1 अलवर ने अस्वीकार कर खारिज कर दिया था, जिसके उपरान्त अपीलांट ने शेष 2 बीघा आराजी का इन्तकाल उनके हक मे खोले जाने हेतु तहसीलदार को आवेदन किया था परन्तु उनके हक मे इन्तकाल नहीं खोला गया। इन्तकाल सं० 929 दिनांक 22.10.2024 जिसे असल रेस्पो० सं० 1 ला० 3 के हक में खोला गया है। रेस्पो0 के पिता स्व0 श्री रमेश जिनके विरूद्ध पूर्व में सक्षम न्यायालय द्वारा वाद डिकी होने के उपरान्त अपीलाण्ट के पिता के हक में दिनांक 05.04.2004 को बयनामा पंजीबद्ध हो चुका था, परंतु गैरशख्स द्वारा दायर वाद के कारण संपूर्ण भूमि जिसका बयनामा अपीलाण्ट के पिता के हक में हो चुका है, का इंतकाल नहीं खोला गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपील के समर्थन में लिखित बहस पेश कर कथन किया कि साबिक आराजी खसरा नंबर 376 रकबा 7 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 451, 452, 453, 455, 458 किता 5 रकबा 2.49 है0 ग्राम मुगंसका की बाबत अपीलांट के पिता रामोतार ने रमेश कुमार पुत्र प्रहलादराय खातेदार द्वारा निष्पादित इकरारनामा 10.4.1975 के आधार पर तकमील मुआयदा का वाद दायर किया, जो न्यायालय अति० सिविल न्यायाधीश क०ख० सं0 2 ने दिनांक 14.02.2002 को उनके हक मे डिक्री किया। डिकी के प्रकाश में न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता रामोतार पुत्र बिरदी चंद के हक मे दिनांक 05.04.2004 को बयनामा निष्पादित होकर पंजीबद्ध किया गया था। इसी दौरान हरिकिशन पुत्र छोटेलाल नामक व्यक्ति ने अपीलांट के पिता के विरूद्ध न्यायालय में दावा दायर कर दिया, जिस पर न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड मे बयनामा के आधार पर इन्तकाल ना खोलने हेतु प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधज्ञा दिनांक 24.08.2004 को स्वीकार किया।

अपीलांट के पिता ने इस आदेश के विरूद्ध अपील दायर की जो अपील दिनांक 14.02.2005 को अपर जिला न्यायाधीश सं० 1 अलवर द्वारा निस्तारित कर यह आदेश पारित किया कि साबिक आराजी खसरा नंबर 376 के केवल 2 बीघा जमीन के संबंध में आदेश प्रभावी रहेगा, शेष जमीन पर इसका कोई प्रभाव नही होगा। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं० 1 अलवर के आदेश दिनांक 14.02.2005 के प्रकाश में अपीलांट के पिता जिनका इस दौरान निधन हो चुका था उनके वारिसान अपीलांट व तरतीबी रेस्पो० के हक मे इन्तकाल सं० 850 दिनांक 28.01.2011 को खोला जाकर स्वीकार हुआ। हरिकिशन पुत्र छोटेलाल का वाद सं० 333/2003 निर्णय दिनांक 27.02.2019 न्यायालय सिविल न्यायाधीश सं० 1 अलवर ने अस्वीकार कर खारिज कर दिया था, जिसके उपरान्त अपीलांट ने शेष 2 बीघा आराजी का इन्तकाल उनके हक मे खोले जाने हेतु तहसीलदार महोदय को आवेदन किया था परन्तु उनके हक मे इन्तकाल नहीं खोला गया।

इन्तकाल सं० 929 दिनांक 22.10.2024 जिसे असल रेस्पो० सं० 1 ला० 3 के हक मे खोला गया है, विधि विरूद्व है उनके पिता रमेश कुमार पुत्र प्रहलादराय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा डिकी दिनांक 14.02.2002 को पारित की गई जिसके प्रकाश मे अपीलांट व तरतीबी रेस्पो० के पिता के हक मे बयनामा दिनांक 05.04.2004 को निष्पादित होकर पुस्तक सं० 1 जिल्द सं० 654 मे पृष्ठ सं० 88 कम सं0 2004001599 पर पंजीबद्व किया गया था। इस प्रकार उनके पुत्रान व पुत्री रेस्पो० सं० 1 ला० 3 प्रत्येक के हक मे हाल आराजी खसरा नंबर 451, 452, 453, 455, 458 किता 5 रकबा 2.49 है० ग्राम मुगंसका के 40/591 हिस्से का इन्तकाल कानूनन नही खुल सकता। अतः अपील स्वीकार कर जाकर इन्तकाल सं0 929 दिनांक 22.10.2024 खारिज किया जाये।

रेस्पो0 की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया है तहसीलदार अलवर द्वारा विधि के प्रावधानों के तहत रेस्पो० सं० 1 ला० 3 के पक्ष में इन्तकाल सही तौर पर स्वीकार कर दर्ज किया गया है। सर्वप्रथम मियाद अधिनियम दफा 05 पर निर्णय होना आवश्यक है, क्योंकि अपीलाण्ट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गई जिसका अपीलाण्ट द्वारा कोई युक्तियुक्त जवाब पेश नहीं किया गया है। अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन कराने के लिए अपीलाण्ट को दिन–प्रतिदिन का ब्यौरा देना होता है, इसलिए अपील मियाद बाहर होने से अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

द्वारा इंतकाल की अपील में फौती नामान्तकरण को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है। हम रेस्पो० संख्या 1 लगायत 3 उक्त आराजी के पहले भी खातेदार थे तथा आज भी हैं। अपीलाण्ट को दुरूस्ती हेतु दावा करना था, इंतकाल में कोई अनियमितता नहीं है। तहत अदालत द्वारा सही व विधिक आज्ञा पारित की है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपी० खारिज फरमाई जावे। वकील रेस्पो० ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 99 Page 152, RRD 2002 Page632 पेश किये।

सर्वप्रथम प्रा०पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2024 के विरूद्व दिनांक 26.11.2024 को पेश की गयी है जो करीब 01 माह 4 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। फिर भी माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा दर्ज व स्वीकार नामान्तकरण संख्या 929 दिनांक 22.10.2024 एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। साबिक आराजी खसरा नंबर 376 रकबा 7 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 451 रकबा 0.28 है0, 452 रकबा 0.31 है0, 453 रकबा 0.23 है0, 455 रकबा 0.30 है0, 458 रकबा 1.37 है0 किता 5 रकबा 2.49 है0 ग्राम मुगसका तहसील व जिला अलवर की बाबत अपीलांट के पिता रामोतार ने रमेश कुमार पुत्र प्रहलादराय द्वारा निष्पादित इकरारनामा 10.04.1975 के आधार पर तकमील मुआयदा का वाद दायर किया, जो न्यायालय अति० सिविल न्यायाधीश क०ख० सं0 2 ने दिनांक 14.02.2002 को उनके हक में डिक्री किया। डिक्री की पालना में न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता रामोतार पुत्र बिरदी चंद के हक मे दिनांक 05.04.2004 को बयनामा निष्पादित होकर पंजीबद्ध किया गया था। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं० 1 अलवर के आदेश दिनांक 14.02.2005 की पालना में अपीलांट के पिता जिनका इस दौरान निधन हो चुका था, के वारिसान अपीलांट व तरतीबी रेस्पो० के हक मे इन्तकाल सं० 850 दिनांक 28.01.2011 को खोला जाकर स्वीकार हुआ। तहसीलदार द्वारा विधि के विरूद्व इन्तकाल सं० 929 दिनांक 22.10.2024 जिसे असल रेस्पो० सं० 1 ला० 3 के हक मे खोला गया है। तहसीलदार द्वारा अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 2, अलवर द्वारा पारित निर्णय 14.02.2002 एवं बयनामा दिनांकित 05.04.2004 के आधार पर उक्त विवादित संपूर्ण आराजी का इंतकाल रामोतार पुत्र श्री बिरदी के पक्ष में दर्ज व स्वीकार किया जाना चाहिए था। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार अलवर द्वारा इंतकाल दर्ज व स्वीकार करते समय सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से दर्ज बैयनामे के अनुसार इंतकाल दर्ज ना कर विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा पारित इंतकाल संख्या 929 दिनांक 22.10.2024 निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा पारित आदेश इंतकाल संख्या 929 दिनांक 22.10.2024 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार अलवर को आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित संपूर्ण आराजी का इंतकाल रामोतार पुत्र बिरदी चंद (स्व0 रामोतार के वारिसान) के हक मे दिनांक 05.04.2004 को निष्पादित बयनामा के आधार पर नियमानुसार दर्ज व स्वीकार किये जाने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)